ISO:9001-2008

कार्यालय जिला पंचायत
कानपुर नगर।

अनुज्ञा / स्वीकृति

पत्र सं0– 320/नि0/मा0अनु0/जि0पं0 दिनांकः 15-05-2018

कानपुर इन्फाडेवलपर्स प्रा0लि0
डायरेक्टर, प्रेम अग्रवाल
14/113 फ्लैट नं0 103 वुडलैण्ड अपार्टमेण्ट
सिविल लाईन्स कानपुर नगर

विषयः– आवासीय भवन (अफोर्डेबल) हेतु भूमि ले–आउट मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

1. उपरोक्त विषयक आवासीय भवन (अफोर्डेबल) उपयोग हेतु आराजी सं0 622,621 व 618 मिन0 जुमला ग्रम– इमिलिहा तहसील–बिल्हौर कानपुर नगर में आवासीय भवन की मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। जो कि जिला पंचायत कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है उक्त प्राप्त प्रस्ताव पर जिला पंचायत कानपुर नगर की उपविधि संख्या खण्ड 69/संख्या–22/भाग–3–14 ध(73–81) दिनांक 30.05.2015 के अनुमोदन के क्रम में निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।
3. कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग या ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद उन सभी विभागों से जिन से लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
4. प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री सम्मुख मार्ग पर एकत्रित/अतिक्रमण न किया जाय।
5. जलमल की निकासी मुख्य/अन्य मार्ग पर न की जाय तथा सीवरेज/नाली का निस्तारण भवन स्वामी द्वारा सुनिश्चित किया जाये।
6. मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स के नियम 7 यथावत लागू रहेंगे।
7. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि भवन निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरिया 9781.81 वर्ग मी0 में ही कराया जायेगा।
8. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र की अवधि आदेश निर्गमन की तिथि से तीन वर्ष की होगी।
9. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र की अवधि तीन वर्ष के पश्चात् कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत कानपुर नगर से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

pto- 2

10. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र में बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शों/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन मानचित्र में प्रस्तावित है तो जिला पंचायत कानपुर नगर से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
11. प्रतिबन्ध रहेगा कि अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।
12. प्रतिबन्ध रहेगा कि कम से कम 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. प्रतिबन्ध रहेगा कि भवनों की स्ट्रक्चरल प्राविधानों को नेशनल बिल्डिंग कोड की सुरक्षा के मानको के अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्वामी का होगा।
14. मानचित्र का अग्निशमन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राविधानों (अनिवार्य रूप से) को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार निर्माण कार्य सुनिश्चित कराया जायेगा।
15. भूखण्ड स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
16. प्रतिबन्ध रहेगा कि समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश स्वतः प्रभावी होंगे।
17. रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।
18. भूमि स्वामित्व सम्बन्धी विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत कानपुर नगर का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत कानपुर नगर

पत्र सं0–   /नि0/मा0अनु0/जि0पं0   दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत कानपुर नगर को सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, जिला पंचायत, कानपुर नगर को इस आशय के साथ की उक्त स्वीकृत पत्र के सापेक्ष ही निर्माण कार्य सुनिश्चित कराये।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत कानपुर नगर